विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम : बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा

प्रश्न संख्या तारांकित : 5006

उत्तर की तिथि : 09.03.2022

विषय : कोलडैम विस्थापित

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री सुभाष ठाकुर (बिलासपुर)

सम्बन्धित मन्त्री : बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री

	प्रश्न	उत्तर
(क)	यह सत्य है कि बिलासपुर में स्थित एन0टी0पी0सी0 कोलडैम का जनवरी, 2013 में कोलडैम विस्थापितों के साथ एक एग्रीमेंट किया गया था, जिसमें कुल विद्युत उत्पादन के लाभांश का 01 प्रतिशत कोलडैम विस्थापितों को दने का निर्णय लिया गया था जिसकी अभी तक एक ही किस्त जारी हुई; और	**(क) एवं (ख)** सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।
(ख)	यदि हां, तो अब तक कितनी किस्तों की अदायगी शेष है, लम्बित धनराशि की किस्तों को कब तक जारी कर दिया जाएगा?	

तारांकित विधान सभा प्रश्न संख्याः 5006 जो कि श्री सुभाष ठाकुर (बिलासपुर) द्वारा कोलडैम विस्थापित बारे पूछा गया है एवं दिनांक 09.03.2022 को उत्तर के लिए निर्धारित हुआ है, से सम्बन्धित सूचनाः–

(क) व (ख)

जी नहीं, एन0टी0पी0सी0 कोलडैम का जनवरी 2013 में, कोलडैम विस्थापितों के साथ, कोलडैम के कुल विद्युत उत्पादन के लाभांश के एक प्रतिशत से सम्बंधित कोई एग्रीमेंट नहीं किया गया था। हालांकि राष्ट्रीय ऊर्जा नीति 2008 के अनुरुप, ऊर्जा नीति, 2021 में वर्णित प्रावधान के अनुसार परियोजना निर्माता को परियोजना संचालन के बाद रॉयल्टी के अतिरिक्त 1 प्रतिशत मुफ्त बिजली Local Area Development Fund (LADF) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देना होगा जिसके विक्रय से प्राप्त राशि को वार्षिक आधार पर परियोजना प्रभावित परिवारों में नकदी के रूप में वितरित किया जाता है। सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19 व 2019–20 में कोलडैम परियोजना से प्राप्त एक प्रतिशत अतिरिक्त मुफ्त बिजली की बिक्री से प्राप्त राजस्व में से लगभग 37.0815 करोड़ रु0 की राशि को क्रमशः बिलासपुर, मण्डी, शिमला व सोलन जिला के परियोजना प्रभावितों में वितरित करने के लिए सम्बन्धित उपायुक्तों को स्थानांतरित कर दिया गया है। लेकिन उपायुक्तों द्वारा इसमें से कुछ राशि ही परियोजना प्रभावितों में वितरित की जा सकी है क्योंकि कोलबांध प्रभावितों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश में याचिकाएं दायर की है जिसके कारण शेष राशि वितरित नहीं हो सकी है। लम्बित धनराशि की किस्तों को अन्तिम निर्णय आने के उपरान्त वितरित किया जा सकेगा।

****